

झारखण्ड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक-28.02.2020

संख्या :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 1588 / विभागीय अधिसूचना संख्या-705 दिनांक- 31.01.2020 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०-IV, पे० बैंड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नत श्री संजय कुमार पाण्डेय, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची को अगले आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 1589 / विभागीय अधिसूचना संख्या-706 दिनांक- 31.01.2020 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०-IV, पे० बैंड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नत श्री उत्तम कुमार झा, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची को अगले आदेश तक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 1590 / विभागीय अधिसूचना संख्या-707 दिनांक- 31.01.2020 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०-IV, पे० बैंड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में श्री शशि भूषण उपाध्याय, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची को अगले आदेश तक जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 1591 / विभागीय अधिसूचना संख्या-708 दिनांक- 31.01.2020 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०-IV, पे० बैंड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नत श्री हरिश्चन्द्र झा, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को अगले आदेश तक वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 1592 / विभागीय अधिसूचना संख्या-709 दिनांक- 31.01.2020 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०-IV, पे० बैंड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में श्री इग्नातियुस कुल्लू गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को अगले आदेश तक उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 1593 / विभागीय अधिसूचना संख्या-710 दिनांक- 31.01.2020 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०-IV, पे० बैंड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नत श्री मुकूल कुमार भगत, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को अगले आदेश तक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

२

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुधीर कुमार रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव।



ज्ञापांक :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 1593 / राँची, दिनांक- 28.02.2020

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ उद्योग विभाग/ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/ मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग/ जल संसाधन विभाग/ योजना-सह-वित्त विभाग/ वाणिज्य कर विभाग/ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/ उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/ खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/ डोरण्डा/ जिला कोषागार, राँची तथा संबंधित पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी को प्रोन्नत पद पर पदस्थापन के उपरान्त झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 के आलोक में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 1593 / राँची, दिनांक- 28.12.2020

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।